राजस्थान सरकार

न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौनसिंटी जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– सुरेश हरसोलिया आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 101/2022

तारीख रजू 03.06.2022

1 अतरसिंह पुत्र नत्थी
2 उम्मेदसिंह पुत्र नत्थी
3 श्रीलाल पुत्र नत्थी
4 रामफल पुत्र नत्थी
5 हरीचरण पुत्र रामरूप
6 राजवीर पुत्र रामरूप
7 संतोष कुमार पुत्र रामरूप
8 अतुलकुमार पुत्र रामरूप
9 चन्द्रवती वेवा जगन
10 राजो पुत्री जगन
11 ईतबाई पुत्री नत्थी
12 रूपन्ती पुत्री नत्थी
13 गुट्टीराम पुत्र चौथी माता सुफेदी
14 रमेश पुत्र चौथी माता सुफेदी

(1 से 14) सभी जातियान जाटव निवासी मिल्कीपुरा, ढिंढोरा तहसील सूरोठ जिला करौली

15 भूरी पुत्री नत्थी पत्नि जीवन, जाति जाटव निवासी जगर कोटवास तहसील सूरौठ
16 विकम पुत्र कलुवा जाति जाटव निवासी ढिंढोंरा तहसील सूरौठ
17 जमना पुत्र कलुवा जाति जाटव निवासी ढिंढोंरा तहसील सूरौठ
18 रिंकू पुत्र कलुवा नाबालिग जरिये प्राकतिक संरक्षिका माता खुद श्रीमति जमना बेवा कलुवा जाति जाटव निवासी ढिंढोंरा तहसील सूरौठ

:– सायलान

बनाम

1 रामबाबू पुत्र जगन
2 सुरेश पुत्र जगन
3 रूपनारायण पुत्र जगन

(1 से 3) सभी जाति जाटव निवासी नई बस्ती मिल्कीपुरा ढिंढोरा तहसील सूरोठ जिला करौली

4 सुशीला पुत्री जगन पुत्र मूला पत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी मुकुन्दपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
5 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली

:– गैरसायलान

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0</u>

उपस्थित 1 श्री सीताराम गुर्जर वकील प्रार्थी
2 श्री अशोक नीमनका वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :– 5-5-23

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दावा उनवानी अतरसिंह आदि बनाम रामबाबू धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के [illegible] 278/2021 एवं प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.ए. मु0 नं0 231/2021 [illegible] हुआ है। इसी के संदर्भ में प्रार्थनापत्र धारा 151 सी.पी.सी. का पृथक से पेश कर बता[illegible] कि खसरा नम्बर 3431 रकवा 0.37, 3434 रकवा 0.38 कुल किता [illegible] मिल्कीपुरा (ढिढोरा) तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है जिसका साविक खसरा नम्बर 2175 रकवा 3 वीघा था विवादित आराजी प्रार्थीगण/वादीगण के पूर्वज स्वं0 नत्थी व स्वं0 दौजी काविज़ काश्तगार थे जिनका कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन से एवं जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के दिन वहैसियत काश्तगार था जिसमें दोनो अधिनियम लागू होने पर बराबर–बराबर के खातेदार काश्तगार हो गये परन्तु राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्मचारियों की भूल से प्रार्थीगणो के पूर्वजों को खातेदार काश्तगार दर्ज करने के बजाय सरकारी खाते में बिना किसी सक्षम अधिकारी के सीधे ही पटवारी हल्का द्वारा चरागाह दर्ज कर दिया गया है जिसका उसको कोई अधिकार नही था कभी भी यह भूमि चराई के उपयोग मे नही आई है सन् 1965 में यानि सम्बत 2022 के राजस्व अभिलेखो में प्रार्थीगण के पूर्वज नत्थी व दौजी का नाम काश्तगार की हैसियत से दर्ज करके हर साल पेलन्टी लगान के रूप मे लेते रहे है इस भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के बुजुर्ग जगन पुत्र मूला को आवंटन कर दिया गया किन्तु उस पर कभी भी आवंटी का कब्जा नही रहा इस आवंटन के सम्बंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहा आवंटन नियमो के तहत 14(4) की अपील दायर हुई थी जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा करते हुए अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त कर आवंटन कमेटि को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया तथा इस आराजी पर प्रार्थीयान के पूर्वजो का पुराना कब्जा होने पर दिनांक 02.02.1981 को नत्थी व दौजी के हक में नियमन कर दिया गया है। इस आदेश की अपील होने पर प्रकरण पुनः देखे जाने हेतु आवंटन कमेटि को रिमाण्ड कर दिया गया है जिसमें दिनांक 10.01.1990 को वादीगण के पक्ष में हुए पूर्व नियमन को पुनः वादी के हक मे ही बहाल कर दिया गया है जिसके बाद प्रकरण अपीलीय न्यायालयो में विचाराधीन चलतस आ रहा है राजस्व अभिलेखों में सम्बत 2022 से जगन के नाम होने तक लगातार प्रार्थीगण का नाम गैरखातेदारी/ खातेदारी की हैसियत से दर्ज होता चला आ रहा है अप्रार्थीगण के पूर्वज जगन तथा उसके बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 विवादित भूमि पर आज तक एक भी दिन का कब्जा नही रहा है ना ही आवंटन शर्तो की पालना की गई है ना ही इनके द्वारा कभी भी काश्त की है इस कारण आवंटन नियमो का पालन नही होने के कारण स्वतः ही आवंटन प्रभावहीन होकर भूमि स्टैट मे रिज्यूम हो गई तथा आवंटी के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये। अप्रार्थीयान के द्वारा कभी भी इस आवंटन भूमि के सम्बंध में प्रार्थीयान की वेदखली कार्यवाही नही की गई है। आवंटन समय से ही इस भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज नत्थी व दौजी का विवादित भूमि पर कब्जा पाया गया है उस आधार पर दिनांक 02.02.1981 को नियमन किया गया तथा कब्जा आज तक प्रार्थीगण के मोजूद है जिसे 45 साल से ज्यादा समय का है राजस्थान सरकार ने प्रार्थीगण के बुजुर्ग या प्रार्थीगण को उक्त सालो से मौके पर कभी भी बेदखल नही किया अपीतु नियमन के जरिये कब्जा बहाल किया जिसकी म्याद 30 साल भी निकल चुकि है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के प्रावधान के अनुसार उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के प्रार्थीगण को बेदखल करने का अधिकार समाप्त हो गये है। तथा अप्रार्थीगण की जानकारी में उनकी विना [illegible] एवं अडचल के प्रार्थीगण का कब्जा 45 साल से ज्यादा समय का रिकॉर्ड के आधार मौके पर है प्रार्थीगण का कब्जा परफैक्ट व स्थाई हो गया है उसे अपना कब्जा प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रार्थीयान के विरूद्ध धारा 88—89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा लाने का हक है तथा प्रार्थीगण अपने आप को गैरखातेदारी से खातेदारी घोषित कराने एवं अप्रार्थीयान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.05.2022 को भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर अवैद्य कब्जा करने की धमकी दी है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन अपूर्णिय क्षति का बिन्दू वखूवी प्रार्थीगण के हक मे सावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अंत में प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुए प्रार्थीगण के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 3431 रकवा 0.37 व 3434 रकवा 0.38 कुल किता 2 कुल रकवा 0.75 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न ही किसी अन्य से करावे। राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं भूमि को रहन व्यय मुन्तकिन न करने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 जरिये वकालान्तन दिनांक 07.07.2022 को उपस्थित आये किन्तु उनके द्वारा इस प्रार्थनापत्र में आज दिनांक तक कोई जबाब प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है तहसीलदार सूरौठ के द्वारा भी जबाब प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है जो आज जबाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थीयान संख्या 1 ता 5 का बंद किया जाता है।

वकील प्रार्थीयान एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थीगण ने अपने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के बुजुर्ग सम्बत 2022 से निरन्तर कब्जा काश्त है ओर दिनांक 02.02.1981 को भूमि का नियमन हो गया है इसी भूमि का विना किसी आधार पर अप्रार्थीगण के बुजुर्गो के नाम भी 1975 में आवंटन किया गया है इन दोनो आदेशो के विरूद्व तत्समय पर अपील न्यायालयों में अपीले भी दायर हुई थी ओर दोनो ही प्रकरणों को आवंटन सलाहकार समिति को रिमाण्ड कर दिया गया है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने इस आराजी को नियमन मानते हुए प्रार्थीगण को भूमि पर काबिज मानते हुए निर्णय पारित किया गया है किन्तु इस सम्बंध में अपीलीय न्यायालयो में अपीले दायर की गई है भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दे रहे है यदि अप्रार्थीगण इस कार्य मे कामयाव हो गये तो प्रार्थीगा को भारी आघात होगा जिसकी भरपाई किसी प्रकार से नही की जा सकती है अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने अपने बहस कथन मे कहा कि विवादित आराजी दिनांक 15.10.1975 को अप्रार्थीगण के बुजुर्ग जगन पुत्र मूला को आवंटन नियमो के तहत भूमि आवंटन हुई थी दिनांक 16.09.1978 को प्रार्थीगण के बुजुर्ग नत्थी व दौजी ने आवंटन नियमो के तहत प्रार्थनापत्र 14(4) के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहा पर प्रार्थनापत्र पेश किया गया था जिसे न्यायालय ने आंशिक स्वीकार करते हुए उपजिला कलक्टर हिण्डौन को पत्रावली रिमाण्ड कर दी गई। जिसमें कब्जे के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पत्रावली पेश होनी है जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 10.01.1990 को निर्णय पारित किया गया जिसकी अपील भी अपीलीय न्यायालयो मे एवं माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ था जिसमें अन्तिम निर्णय मे दिनांक 15.10.1975 को [illegible] को यथावत ही रखा गया था इस प्रकार से विवादित भूमि अप्रार्थीयान के बुजुर्ग [illegible] पु[illegible] के नाम आवंटन को सही माना गया है विना किसी आधार के प्रार्थीगण भूमि को हड[illegible] है ओर भूमि को अपने नाम खातेदारी में कराने की कोशिस [illegible] खारिज फरमाया जावे।

हमने वकुलाओ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा प्रार्थनापत्र में दर्ज अभिबचनो का मनन करने पर यह प्रार्थनापत्र 151 सी.पी.सी. के साथ–साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा के तहत होना प्रतीत हो रहा है जिसमे विवादित आराजी दिनांक 15.10.1975 को अप्रार्थीयान के बुजुर्ग जगन पुत्र मूला को आवंटन तथा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:19 IST
Reason: SelfAttested

02.02.1981 को प्रार्थीगण के बुजुर्ग नत्थी व दौजी के हक मे नियमन होना पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से सावित हो रहा है। इन आदेशों के खिलाफ अपीलीय न्यायालयों में अपीले होती रही है साथ ही वर्तमान रिकॉर्ड में विवादित आराजी सम्बत 2069 से 72 की जमाबंदी में जगन, अतरसिंह उमेशसिंह श्रीलाल रामफल रामरूप पिसरान नत्थी बेजन्ति बेवा नत्थि, हिस्सा 1/2 कलुआ पुत्र दौजी हिस्सा 1/2 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है तथा नामान्तकरण संख्या 352 निर्णय दिनांक 27.06.2014 से जगन फौत होने पर उनके वारिसान रामबाबू, सुरेश रूपनारायण पिसरान जगन शुशीला पुत्री जगन जाति जाटव के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है एवं जमाबंदी सम्बत 2073 से 76 के खाता संख्या 174 में विवादित भूमि अतरसिंह पुत्र नत्थी हिस्सा 1/14 उमेश सिंह पुत्र नत्थी हिस्सा 1/14 कलुआ पुत्र दौजी हिस्सा 1/2 जगन पुत्र नत्थी हिस्सा 1/14 बसनती पत्नि नत्थी हिस्सा 1/14 रामफल पुत्र नत्थी हिस्सा 1/14 रामस्वरूप पुत्र नत्थी हिस्सा 1/14 श्रीलाल पुत्र नत्थी हिस्सा 1/14 जाति जाटव निवासी मिल्कीपुरा गैरखातेदार के रूप मे दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीयान का प्राईमाफेसी केश बखुवी सावित हो रहा है वकील अप्रार्थी द्वारा इस प्रार्थनापत्र के सम्बंध में एवं प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.ए. के तहत में भी जबाब प्रार्थनापत्र मे भी पेश नही किया गया है जिससे यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीयान का ही कब्जा है क्योकि दावा में प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयों में इनके नाम गिरदावरी में काश्त होना दर्शित किया हुआ है। लिहाजा खसरा गिरदावरी एवं प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र से सुविधा का सन्तुलन सावित हो रहा है चुकि प्रकरण में आवंटन/ नियमन का विवाद है जिसको सावित करने के लिए पक्षकार अपने–अपने साक्ष्य दौराने दावा पेश करने मे स्वतंत्र है जब तक मौके पर किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो ऐसी स्थिति में गैरसायलान को पाबंद करना उचित रहता है। प्रार्थीयान का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा 151 सी.पी.सी. में अभिवचनो से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अभिवचनो के आधार पर मानते हुए स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायलान को ताफैसला दावा तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3431 रकवा 0.37 है0 3434 रकवा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.75 है0 वाके ग्राम मिल्कीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का मजाहमत मदाखलत नही करे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थनापत्र मूल दावे में शामिल हो।

निर्णय आज दिनांक 5-11-23 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:19 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश हरसोलिया
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनसिटी